रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

आवश्यक सूचना

समस्त इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि वे अपना ई–मेल आई0डी0 व मोबाईल नं0 कार्यालय को प्रेषित करें ताकि उन्हें नवीनतम सूचनायें E-mail अथवा S.M.S. के माध्यम से भेजी जा सकें। रजिस्ट्रार

registrarbehmup@gmail.com

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :– ,
सम्पादक, इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट, 127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –22 ● कानपुर 16 से 30 नवम्बर 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

अन्ततः निर्णायक समय आ ही गया

यह प्रकृति का नियम है कि जो कुछ भी होता है उसका निर्णय अवश्य होता है, निर्णय कब होता है ! कैसे होता है और किन परिस्थितियों में होता है ?यह सारी बातें समय पर निर्भर करती है समय की प्रमुखतः तो हर जगह होती है परन्तु समय को अपने हिसाब से किस तरह से ढाला जाये यह मनुष्य पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन वर्षों से चल रहा है और इस आन्दोलन में बहुत सारे रंग भी देखे हैं।

एक समय था जब इलेक्ट्रो होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेते थे, अब वह समय लगभग समाप्त सा हो गया है, अब बात सिर्फ सरकारी संरक्षण की है, परिस्थितियां और व्यवस्थायें भी लगभग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में बनती दिखायी पड़ रही हैं, यह पहला अवसर है जब सारे भारत का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात के लिए आश्वस्त है कि अब कुछ न कुछ अवश्य हो जायेगा।

पहले जो भी आन्दोलन चलते थे उनसे कभी भी इतनी अपेक्षा नहीं होती थी कि इतने सकारात्मक परिणाम आयेंगे यह देश के सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथों का एकजुट प्रयास है कि पहली बार लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किये गये हैं यद्यपि इस बार भी प्रयासों में एक रूपता नहीं बन पायी, लोग घटकों में बंटे नज़र आये, हर संगठन अपने–अपने अनुसार आन्दोलन को गति देता रहा।

21 जून, 2011 के आदेश के आ जाने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन में जो गति आयी वह आज भी जारी है और यह आन्दोलन अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुका है।

28 फरवरी, 2017 को निर्गत भारत सरकार का आदेश जिसमें भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिए एक सुगम रास्ता निकाला है जिसमें भारत सरकार ने सारे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों का खुला आवाहन किया है कि व्यक्तिगत स्तर पर या समूह के स्तर पर भारत सरकार द्वारा वांछित जानकारी प्रपोज़ल के माध्यम से सरकार तक भेज दी जायें, वैसे सही मायने में सरकार की यह इच्छा है कि पूरे देश से एक ऐसा प्रपोज़ल आये जिसमें देश में संचालित हो रहे सारे संगठनों का समायोजन भी हो, ऐसा प्रतिवेदन सरकार के पास आये, इस कार्य के लिए सरकार ने 10 महीनों की लम्बी अवधि भी दी है, अब धीरे– धीरे यह अवधि समाप्ति की तरफ है और प्राप्त जानकारी के आधार पर लगभग हर हिन्दी भाषी राज्यों से प्रतिवेदन भेजे जा चुके हैं समय सीमा समाप्त की अन्तिम अवधि में भी कुछ लोग प्रपोज़ल देने का मन बना रहे हैं।

> ✓ निर्णय का समय करीब
> ✓ मन है कि मानता नहीं
> ✓ होगी पृथक चिकित्सा पद्धति
> ✓ ई0 हो0 की होगी बल्ले–बल्ले
> ✓ सपने होंगे साकार
> ✓ पर करना होगा काम

इन प्रपोज़लों में क्या लिखा गया है ?क्या भेजा गया है ? यह अभी सार्वजनिक नहीं है परन्तु हम विश्वास करते हैं कि हमारा हर साथी योग्य और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का हित चिन्तक है, इसलिए उसके द्वारा प्रपोज़ल में जो कुछ भी भेजा गया होगा वह आवश्यक और योग्य होगा, कभी–कभी मन को ठेस भी पहुंचती है जब हमारे मन में यह विचार आता है कि हमारा यह सुविचार तब भी था जब मार्च के महीने के 7 के 7 प्रपोज़लों को सरकार द्वारा योग्य नहीं पाया गया था, हमें उस समय थोड़ी सी निराशा हुई थी क्योंकि प्रथम आवृत्ति में जिन लोगों के द्वारा भारत सरकार को प्रपोज़ल भेजे गये थे उनकी योग्यता पर किसी को भी सन्देह नहीं था, जो भी होना था हो गया, अब स्थितियां बदल चुकी हैं बहुत सारी परस्पर मीटिंगें हो चुकी हैं और हर साथी यही चाहता है कि उसके प्रपोज़लों पर सरकार विचार करे और विचारोपरान्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाये, यह सबकुछ तो 30 दिसम्बर के बाद ही पता लगेगा कि किसके प्रपोज़ल में कितना दम था !

हम दायित्वों को समझते हैं–डा0 कुमार

हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में वरिष्ठता की श्रेणी में आते हैं, हमें इसका एहसास है और हमें अपने दायित्वों के बारे में भी पता है, हम चाहते हैं कि दूसरी पीढ़ी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में बढ़–चढ़ कर काम करे परन्तु जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में नहीं होगा वह हमें स्वीकार नहीं है।

आज देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर हर कोई चर्चा कर रहा है, हर एक की निगाह 30 दिसम्बर पर अटकी है हम सब भी इस तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं परन्तु न तो हम अति उत्साहित हैं और न ही शान्त, हमें विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी घटित होगा वह अच्छा होगा यह विचार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुए डा0 वी0 कुमार ने व्यक्त किये।

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के प्रशासनिक कार्यालय में वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते डा0 एम0 एच0 इदरीसी, डा0 वी0 कुमार एवं डा0 प्रमोद शंकर बाजपई – छाया गज़ट

बस सबसे सुखद बात यह है कि मार्च के बाद भारत सरकार को प्रेषित किये गये प्रपोज़लों की अस्वीकारिता का कोई समाचार प्रकाश में नहीं आया, बहुत सम्भव है कि जो प्रपोज़ल भेजे जा रहे हैं अभी सरकार सिर्फ उन्हें अपने पास संग्रहित कर रही है और 30 दिसम्बर के बाद जब इन प्रपोज़लों की समीक्षा की जायेगी तब शायद सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया जायेगा, अभी इन बातों पर टिप्पणी करने का समय नहीं है क्या परिणाम आयेंगे यह अभी कहना जल्दबाज़ी होगा परन्तु यह कल्पना तो हम कर ही सकते हैं कि जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा और इसका लाभ सारे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ उठायेगा।

लोग तो यह भी कह रहे हैं कि निर्णय हो चुका है और उनके प्रपोज़ल पर ही निर्णय होगा, और कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि भारत सरकार उनके ही प्रपोज़ल पर कार्य कर रही है, हंसी तो तब आती है जब यह दावेदार स्तर दर स्तर अपने प्रपोज़ल पर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं उनके जो समर्थक हैं वह भी उन्हीं की बातों पर भरोसा करके चर्चा करने लगते हैं और कभी कभी तो चर्चा इतनी गम्भीर हो जाती है कि परस्पर प्रतिद्वन्दिता तक नज़र आने लगती है यह स्थिति ठीक नहीं है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर किसी का एकाधिकार नहीं है यह चिकित्सा पद्धति सर्वजन हिताय है, इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उतना ही अधिकार रखता है जितना कि अन्य।

30 दिसम्बर के बाद जो कुछ भी होगा उसका सुख हम सारे लोग एक साथ उठायेंगे जैसा 21 जून, 2011 का।

परिणाम के पहले का जश्न

उत्साह जीवन में स्फूर्ति और गति प्रदान करता है परन्तु अतिउत्साह कभी भी उचित नहीं होता, इतिहास साक्षी है कि अतिउत्साहित व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य कभी भी लक्ष्य को आसानी से नहीं प्राप्त कर पाते ! कारण अत्यधिक उत्साह कहीं न कहीं कोई न कोई चूक करवा देता है और यही चूक कभी – कभी सुखद परिणामों में कुछ पलों के लिये अवरोध उत्पन्न कर देते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े नेतृत्वकर्ता इन दिनों कुछ ज़्यादा ही उत्साहित नज़र आ रहे हैं वैसे इस उत्साह का स्पष्ट कारण अभी समझ में नहीं आ रहा है जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वह भविष्य के लिए तो ठीक है परन्तु वर्तमान में उसका क्या औचित्य है ! यह समझ से परे है, जश्न हम सबको मनाने का अवसर मिलना चाहिये और यह हम अपेक्षा भी करते हैं कि यह अवसर पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को प्राप्त भी होगा परन्तु इस अवसर की हमें अभी प्रतीक्षा करनी होगी।

30 दिसम्बर की निश्चित तिथि आने में अभी भी कुछ समय है निश्चित समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद जो कुछ भी परिणाम आयेंगे हमें उनका स्वागत करना होगा, यदि जश्न का अवसर मिले तो जश्न इतना तेज़ होना चाहिये कि पूरा देश उसे देखे, अभी जो कुछ भी हो रहा है वह तो ऐसा लगता है जैसे कि परीक्षा देने के पहले ही परीक्षार्थी पास होने का जश्न मना ले, आजकल पूरे प्रदेश में चुनावी हलचल है दो राज्यों में चुनाव होने के कारण एक तरह से पूरा देश चुनावी चकाचौंध से प्रभावित है ऐसे में इलेक्ट्रो होम्योपैथों द्वारा परस्पर प्रसन्नता जाहिर कर एक दूसरे को बधाई देना बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे प्रत्याशी के नामांकन जूलूस में दिखाया जाने वाला जोश और नामाकंन के बाद नामाकंन होने की खुशी। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो भी साथी या संगठन भारत सरकार को प्रपोज़ल देकर आते हैं वह प्रपोज़ल देते ही बड़े ज़ोर शोर से इसका प्रचार और प्रसार करते हैं। लोगों को बताना अच्छी बात है इससे चिकित्सकों का मनोबल ऊँचा होता है, मनोबल के बढ़ने से कार्य में सुग्रहिता तो आती है परन्तु इसकी आड़ में जो संगठन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं यह कहां तक उचित है ?इसका निर्णय ऐसा करने वाले स्वयं लें। एक बात और देखने को आयी है कि मान्यता के नाम पर सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं परस्पर संवाद भी होते हैं और उसमें संघर्ष की बात भी की जाती है, यह कैसी दोहरी बात है ! सरकार ने गुज़रे आठ महीनों से सब को अवसर दे रखा है कि प्रपोज़ल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुंचायें अब इसमें संघर्ष करने वाली बात कहां है ! खिलाड़ी को टीम में आने के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है एकादश में किसका चयन होता है यह तो कप्तान के हाथ में होता है परन्तु टीम में स्थायी स्थान बनाने के लिए खिलाड़ी को अपना खेल कौशल दिखाना ही पड़ता है, यह बात हम सबको करनी है, सरकार ने सबको अवसर दिया है, अब जो अपनी बात अधिकार पूर्वक रख पायेगा उसे अवसर अवश्य मिलेगा, यहां न तो कोई फाइनल है और न ही कोई सेमी फाइनल, जबकि पिछले दिनों मध्य प्रदेश में एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया आयोजकों ने सोशल मीडिया पर खूब ज़ोर शोर से प्रचार किया कि और यह कहा कि यह है मान्यता का सेमी फाइनल।

जितने भी लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हैं उनके मन में यह प्रबल इच्छा है कि वर्षों से जो सपना उन्होंने देख रखा है उसे पूरा होते हुए भी वह देखें लेकिन हमारे कुछ साथी इतने अच्छे हैं कि उन्होनें चिकित्सकों को ऐसे–ऐसे सपने दिखा रखे हैं कि वह रातो–दिन उन्हीं सपनों में खोये रहते हैं, यदि सपने पूरे हो गये तो बहुत अच्छी बात, यदि एक प्रतिशत भी सपना पूरा नहीं हुआ तो उनपर जो गुज़रेगी वही जानेगें सम्भावनायें कभी खत्म नहीं होती हैं एक सम्भावना खत्म होती है तो दूसरी सम्भावना जन्म लेती है इसलिए किसी भी सम्भावना से इनकार नहीं करना चाहिये और यहां तो ऐसा लग रहा है कि इस बार सरकार ने मन बना ही लिया है कि वर्षों से उपेक्षित इस मामले का कुछ न कुछ निराकरण निकाल ही दिया जाये, खैर अभी लगभग डेढ़ महीने का समय शेष है, हो सकता है कुछ और लोग भी निकल कर समाने आयें और प्रपोज़ल के माध्यम से अपनी बात सरकार तक पहुचायें।

इस कार्यक्रम की परिणिति क्या होगी ?इसका तो मात्र अपने–अपने हिसाब से अनुमान लगाया जा सकता है परन्तु हमारा मानना है कि परीक्षणोंपरान्त ही कोई दिशा बनेगी दिशा अच्छी होगी, ऐसा विश्वास हम सबको है और जब परिणाम अच्छे आयेंगे तब हम भी इस जश्न में शामिल होंगे।

लामबन्दी के प्रयास ज़ोरों पर

30 दिसम्बर की तिथि जितनी नज़दीक आती जा रही है लोगों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं।

जिन संगठन प्रमुखों ने यह दावेदारी कर रखी है कि 30 दिसम्बर के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता उन्हीं के संगठन को मिलेगी उनके दावों की कसौटी का समय भी नज़दीक आता जा रहा है, वैसे बहुत सारे संगठन प्रमुखों ने अपनी नीतियां बदल दी हैं और 2 महीनें पहले से ही अपने दावों में बदलाव लाना प्रारम्भ कर दिया है।

जो लोग बड़े हिम्मत के साथ यह कहते दिखते थे कि उनके बिना इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई निर्णय ही नहीं लिया जायेगा ! अब वह भी पशोपेश में हैं और जो लोग शान्त बैठे थे वह भी प्रतीक्षा में हैं कि इन्तेज़ार की घड़ियां समाप्त हों और जो कुछ भी परिणाम आने हैं वह आ जायें जिससे कि आगे की व्यवस्था निर्णीत की जाये, वैसे अभी तक तो पूरे भारत का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात से आश्वस्त है कि परिणाम सकारात्मक ही आयेंगे।

हम भी अपेक्षा करते हैं कि परिणाम अच्छे ही होंगे परन्तु जैसा कि सरकार का कथन है कि 30 दिसम्बर तक तो प्रपोज़ल ही स्वीकार किये जायेंगे, दिसम्बर के बाद नये वर्ष में सरकार इन प्रपोज़लों की सॉर्टिंग करेगी तदोपरान्त इन प्रपोज़लों की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा। यह कमेटी प्रपोज़लों के अध्ययन के उपरान्त ही कोई निर्णय लेगी सरकार की चाल जिस स्तर की होती है वह तो यही बताती है कि यदि सबकुछ ठीक–ठाक रहा तब भी कम से कम तीन चार महीने का समय तो लग ही जायेगा, परन्तु दिशा तो बनने ही लगेगी और इस दिशा को निर्णायक मोड़ हम सब ही देंगे, परन्तु निर्णायक मोड़ तभी सम्भव है जब हिन्दुस्तान के सारे संगठन एक मत के साथ आगे बढ़ें, आज जो स्थिति दिखायी पड़ रही है उसमें उद्देश्य तो एक दिखता है परन्तु उद्देश्य को पाने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं वह पृथक– पृथक हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का जो मूल बिन्दु है उसपर ही विभिन्न राय हैं, यह सत्य है कि हर एक की सोच अलग होती है और चिन्तन भी अलग होता है परन्तु जो सत्य होता है उस पर तो एक राय होती ही है, इस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो वैज्ञानिक हैं उनमें ही मतैक्यता नहीं है ! अपने–अपने तर्कों के माध्यम से सब अपने आप को और अपनी सोच को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं और यही सोच एकात्म भाव पैदा नहीं होने दे रहा है ज्यों–ज्यों विचारों में अलगाव होता है त्यों–त्यों वैचारिक टकराव भी पैदा होता है।

एक सामान्य सी बात है हमारे वैज्ञानिक साथी प्रायः यह विचार प्रकट करते हैं कि मैटी की पद्धति में सबकुछ सीक्रेट है ठीक है हम मानते हैं कि मैटी ने सबकुछ सीक्रेट रखा परन्तु मैटी के बाद जो कुछ भी सामने आ रहा है वह तो रहस्य नहीं है, जब रहस्य से पर्दा उठ ही चुका है तब इस तरह की बातों पर विवाद को जन्म नहीं देना चाहिये क्योंकि यही विवाद मान्यता की राह में तरह–तरह की अड़चनें पैदा करते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता को समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता है, मान्यता तो मिल कर ही रहेगी और यह भी निश्चित है कि अब ज़्यादा विलम्ब भी नहीं होगा, हमने जैसा कि पिछले अंक में लिखा था कि भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देश पर ही कर रही है इसपर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है लेकिन यह वह सत्य है जिसे देर सबेर स्वीकार करना ही होगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई पद्धति है और इस पद्धति पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी एक दावेदार का है, स्वास्थ्य के विषय में भारत सरकार बहुत गम्भीर है सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि देश से यदि बीमारियों को हटाना है तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास करना ही पड़ेगा। पिछले तीन वर्षों में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां काफ़ी तेज़ी के साथ आगे आयी हैं और आम जनमानस में इसका असर भी पड़ा है आज भी इस विशाल देश पर हर स्थान पर चिकित्सा की मूलभूत सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। जो वेस्टर्न मेडिकल साइंस के चिकित्सक हैं अपवादों को छोड़ दें तो यह चिकित्सक आज भी महानगरीय मोह माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं ऐसे में हमारे आयुर्वेद युनानी होम्योपैथी के चिकित्सक ही तहसीलों और कस्बों में सेवायें देते हैं सरकार भी इन पद्धतियों के स्तर को बढ़ाने में प्रयासशील है चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन वर्षों से चलाया जा रहा है और धीरे–धीरे यह चिकित्सा पद्धति समाज में अपनी उपयोगिता भी बढ़ा रही है। सरकार के पास इसकी पूरी जानकारी है तभी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस चिकित्सा पद्धति का नियमितीकरण किया जाये जिससे कि इस पद्धति से जुड़े चिकित्सकों का लाभ उठाया जाये।

वैसे सरकार ने इसकी पहल 21 जून, 2011 को ही कर दी थी जब भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन पर विचार करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को चिकित्सा करने का अधिकार प्रदान किया था और समस्त राज्य सरकारों को निर्देशित भी किया था कि हर राज्य सरकार इस आदेश का अनुपालन कर अपने–अपने राज्यों में लागू करे, यह आदेश बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि अभी अभी भारत सरकार ने आदेश जारी कर यह स्पष्ट किया है कि हर शिक्षक को टी0 ई0 टी0 की परीक्षा पास करनी होगी तथा राज्य सरकारों को भी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने के लिए निर्देश दिये हैं सरकार ने इस टी0 ई0 टी0 परीक्षा की महत्ता को स्वीकारते हुए इसे निजी विद्यालयों मे भी लागू करने की व्यवस्था की है इसीलिए सरकार ने पहले 21 जून का आदेश पुनः पद्धति के नियमिती करण के लिए 28 फरवरी, 2017 को नया आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की राह प्रशस्त की है। अब यह हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम इस अवसर का लाभ उठायें और सरकार द्वारा वांछित जानकारियों का आवश्यक और सटीक उत्तर दें जिससे कि वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो सके परस्पर प्रतिद्वन्दिता से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है लेकिन जो परिदृश्य सामने आ रहा है वह कुछ और ही प्रकट करता है।

जिस तरह की लामबन्दी की जा रही है वह किसी भी कोण से उचित नहीं है कारण अब सरकार जो भी आदेश पारित करेगी वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए होगा न कि किसी भी व्यक्ति विशेष या विशेष संगठन के लिए, आजकल एक बार फिर पूरे देश में सम्मेलनों का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग इकाईयों द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्मेलन और महासम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं प्रथम दृष्टता तो यही बताया जा रहा है कि इन सम्मेलनों के माध्यमों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को जागरूक किया जायेगा जिससे कि मान्यता की राह आसान हो।

वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में इतना कुछ जागरण किया गया है कि हमारा चिकित्सक बहुत अधिक जागरूक हो गया है वह जानने लगा है कि कौन किसके हित की बात कर रहा है और कौन अपने हित की ! कुछ भी हो जागरण करना बुरी बात नहीं है परन्तु जागरण की आड़ में की जाने वाली लामबन्दी बहुत ज़्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रहने वाली है इसलिए सम्यक दृष्टि से काम करने की आवश्यकता है।

अविश्वसनीय परन्तु अकल्पनीय नहीं

जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनायें घटती हैं जिनके बारे में पहले से कोई सम्भावना नहीं होती है ऐसी घटी हुयी घटनाओं को हम अप्रत्याशित का नाम देते हैं परन्तु ऐसी घटनायें यदा कदा ही होती हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यदि हम इतिहास खंगालें तो पूरा का पूरा काल तरह तरह की घटनाओं से पटा पड़ा है कुछ घटनायें ऐसी भी हैं जिनपर सहसा विश्वास ही नहीं होता है परन्तु घटनायें हैं जो घटी हैं, यह सत्य है कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित होता है उसमें कहीं न कहीं हमारी कल्पनाशीलता अवश्य होती है क्योंकि जब कल्पनायें आकार लेती हैं तभी उन कल्पनाओं को साकार रुप देने के लिये मनुष्य प्रयास करता है सामान्य जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो हर प्रकार के जीवन में कल्पनायें अपना अस्तित्व रखती ही हैं और शनै–शनै यही कल्पनायें मूर्त रुप लेने लगती हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रादुर्भाव से लेकर विकास तक का जो भी काल खण्ड है उसमें वैचारिक समतायें और विषमतायें दोनों के ही दर्शन होते हैं।

महात्मा काउन्ट सीज़र मैटी जिस समय कार्य कर रहे थे उस समय महामारियों का बोलबाला था पश्चिमी चिकित्सा पद्धति अपना प्रभाव तो डाल रही थी परन्तु कुछ कुप्रभाव भी डाल देती थी इससे मैटी व्यथित थे उनके मन में यह कल्पना थी कि शायद रासायनिक पदार्थ और विषाक्त तत्व के मिश्रण से निर्मित होने वाली औषधियां कहीं न कहीं शरीर को प्रभावित करती हैं जिससे कि रोगी एक रोग से तो मुक्त हो जाता है परन्तु कुछ ही समय बाद उसे कोई दूसरा रोग अपनी चपेट में ले लेता है, मैटी को यह अटूट विश्वास था कि प्रकृति का मानव शरीर से बहुत गहरा सम्बन्ध है, प्रकृति की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही स्वस्थ्यता और अस्वस्थ्यता की कड़ी है इसलिये उनके मन में कहीं न कहीं यह विचार कौंधता रहता था कि किसी ऐसी पद्धति को जन्म देना चाहिये जोकि पूर्ण रुप से प्रकृति पर आधारित हो, काउन्ट सीज़र मैटी और डा0 हैनिमन दोनों ही लगभग समकालीन थे और दोनों ही चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, डा0 हैनिमन ने सम–समा– समयति के सिद्धान्त पर होम्योपैथी का प्रतिपादन किया परन्तु मैटी होम्योपैथी से सहमत तो थे किन्तु सन्तुष्ट नहीं, अतःएव वह निरन्तर चिन्तन में रहे, ज्वॉन की घटना ने मैटी को मात्र चकित ही नहीं किया वरन उनकी इस कल्पना को आकार दिया कि पादप जगत में रोगों से लड़ने की असीमित क्षमता है और रोग उन्मूलन की इस क्षमता को परखने के लिये मैटी ने और भी कार्य किये जैसा मैटी का मानना था कि शरीर में रोगों का जन्म प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होता है, यहां परिस्थितियों का तात्पर्य मनुष्य के आहार और विहार से है क्योंकि मनुष्य का भोजन और वातावरण ही रोगों का कारण होता है और जब रोग जन्म लेता है तो एक साथ कई लक्षणों का समावेश भी रखता है।

मैटी ने पेड़–पौधों के प्रभावों को देखा और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा प्रणाली को जन्म दिया जिसे उन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम दिया इस पद्धति के जन्म लेते ही उनकी कल्पना साकार हुयी और शायद यह उनके जीवनकाल की वह घटना थी जो अविश्वसनीय तो थी परन्तु अकल्पनीय नहीं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आजतक जितनी भी घटनायें घटी हैं उन घटनाओं के प्रति कल्पना तो थी पर शायद विशवास नहीं था, उन्हें वह परिणाम प्राप्त हुये जो उस समय उनके लिये अविश्वसनीय थे, आज़ादी के बाद धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपने पैर भी पसारने लगी थी, पूरे देश में भिन्न–भिन्न प्रांतों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की आवाजें आने लगी थीं जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जहां एक ओर अग्रणी भूमिका निभा रहा था, वहीं दूसरी ओर से मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी काम जोरों पर चल रहा था, उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक स्व0 डा0 नन्द लाल सिन्हा की कार्यप्रणाली से लगभग सभी लोग प्रभावित थे उन्होंने भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के आन्दोलन को एक नई दिशा देने का प्रयास किया यद्यपि उनके समय में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से चिकित्सा व्यवसाय करने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी लेकिन उनके मन में भी यह भाव था कि अन्य पद्धतियों की तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को भी शासकीय संरक्षण प्राप्त हो, इसके लिये उन्होंने अपने स्तर से प्रयास करने प्रारम्भ कर दिये तत्कालीन राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता पर अपने विचार भी दिये तथा सरकार की परीक्षण कसौटी में भी सफल हुये तब कहीं जाकर 27 मार्च, 1953 को उत्तर प्रदेश सरकार का अर्धशासकीय पत्र प्राप्त हुआ।

पत्र प्राप्त होने की कल्पना तो उनके मन में थी परन्तु पत्र में जो कुछ भी लिखकर आया उसका उन्हे विश्वास नहीं था परन्तु पत्र आया जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक आधार दिया, यह दूसरी घटना है जो अविश्वसनीय तो थी परन्तु अकल्पनीय नहीं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसी घटनायें तो घटती ही रहती हैं धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र चार/पॉच राज्यों से बढ़कर 14–15 राज्यों तक पहुँच चुका था, हिन्दी भाषी राज्यों में तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा था, छात्रों और चिकित्सकों का ग्राफ भी बढ़ा, जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो उसपर समाज की दृष्टि भी पड़ती है तथा इस विकास का मूल्यांकन समाज में रहने वाला हर जिम्मेदार व्यक्ति अपने–अपने हिसाब से करता है।

18 नवम्बर, 1998 का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय जो आज भी मील का पत्थर है और दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह वह आदेश है जिसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मज़बूती प्रदान की है, जब यह जनहित याचिका लगायी गयी होगी तो किसी की कल्पना भी

नहीं थी कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नियमितिकरण के लिये इतनी मज़बूत व्यवस्था दे देगी, यह आदेश जब आया तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि अचानक ऐसा आदेश भी आ सकता है, यह सबकी कल्पना से परे आदेश था इसके बाद भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 25 नवम्बर, 2003 को जो आदेश पारित किया और उस आदेश की संरचना जितनी मज़बूत है उसका परिणाम उतना ही अप्रत्याशित।

यकाएक पूरे देश में एक साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन बन्द होना हमसब की कल्पनाशीलता से बहुत परे था शायद किसी ने स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का यह हश्र होगा ! अबाध गति से संचालित होने वाली इलेक्ट्रो होम्योपैथी एकदम से ठहर सी गयी, यह वह घटना थी जिसने एक–दो को नहीं अपितु सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जगत को झिंझोड़ कर रख दिया था, यह अलग बात है कि 25 नवम्बर, 2003 आज भी प्रभावी है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने का अभी तक आधार यही है हमने 25 नवम्बर, 2003 की घटना का सुःख भी लिया और परिणाम भी देखे।

इस घटना के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी हुआ या हो रहा है वह नव निर्माण की एक राह दिखा रहा है 05–05– 2010 को जब भारत सरकार का स्पष्टीकरण आया तब यह लगने लगा था कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सरकारी संरक्षण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को गति और दिशा दोनों मिलेगी 05–05–2010 का आदेश स्पष्टीकरण तो देता है परन्तु कार्य करने की दिशा नहीं तय कर रहा था इसलिये और प्रयास किये गये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया (इहमाई) ने भी प्रयास किये भारत सरकार से पत्र व्यवहार किया और जो परिणाम आये उससे आप सभी लोग सिरपरिचत हैं 21 जून, 2011 का आदेश जो आज की तिथि तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सबसे मज़बूत और महत्वपूर्ण आदेश है। जब यह आदेश आया तो हमें इसकी कल्पना तो थी कि भारत सरकार कोई न कोई अच्छा आदेश देगी हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमने रंचमात्र भी नहीं सोचा था कि भारत सरकार द्वारा इतना मज़बूत और स्पष्ट आदेश जारी किया जायेगा और हमें एक नीति नियामक संस्था के तौर पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा यह एक और उदाहरण है जो यह सिद्ध करता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो कुछ भी घटित होता है वह अकल्पनीय नहीं होता।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 04 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक, मेडिसिन उ0प्र0 के पक्ष में जो आदेश पारित किया गया उस आदेश के हम वास्तविक अधिकारी थे और हम आश्वस्त भी थे कि प्रदेश सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ न्याय अवश्य करेगी और एक नई व्यवस्था निर्मित होगी, यह एक प्रदेश की बात थी परन्तु 21 जून, 2011 का आदेश पूरे देश में लागू करने के निर्देश हैं, प्रदेश सरकारों को इस तरफ सकारात्मक रवैया अपनाना चाहिये जिससे कि देश के लाखों इलेक्ट्रो होम्योपैथ शासकीय संरक्षण का सुःख ले सकें। यद्यपि इस दिशा में भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सार्थक दृष्टि अपना रखी है तभी तो 28 फरवरी, 2017 को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मैकेनिज़्म के लिये एक दिशा निर्देश जारी किया इस निर्देश के माध्यम से भारत सरकार ने यह जानना चाहा है कि सम्पूर्ण देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्य–क्या गतिविधियां चल रही हैं ? और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के क्षेत्र में क्या–क्या कार्य हो रहे हैं ?यह जानने के लिये भारत सरकार ने जो जानकारी मांगी है उसे उसका नाम प्रपोज़ल दिया गया है।

28 फरवरी, 2017 से प्रारम्भ हुआ यह कार्यक्रम धीरे–धीरे अब समापन की ओर है 30 दिसम्बर का समय इस बात का इशारा कर रहा है कि जो कुछ भी हमारे साथियों द्वारा जानकारी के रुप में सरकार को प्रेषित किया गया है उस पर समीक्षा होगी, समीक्षा के बाद परिणाम की प्रतीक्षा होगी, परिणाम क्या होगा ?यह तो अभी गर्भ में है लेकिन जो कुछ भी सरकार को प्राप्त होगा वह उसपर ही चिन्तन करेगी हमें अच्छे परिणामों की अपेक्षा करनी चाहिये और यदि अनापेक्षित परिणाम आयें तो उसपर भी नज़र रखनी होगी तथा वैसे ही भविष्य की नीति भी बनानी चाहिये हम सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं इसलिये सदैव अच्छे विचार ही रखते हैं हमारी कल्पना है कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी प्रतीक्षित है वह सबकुछ सामने होगा और परिणाम सुखद ही होंगे।

सुखद परिणाम की ओर हमारी दृष्टि मात्र कल्पनाशीलता नहीं है वरन इसके पीछे एक मज़बूत आधार है जो हमारी कल्पना को आकार दे रहा है वह है 21 जून, 2011 का आदेश इसका कारण यह है कि 21 जून, 2011 का आदेश बहुत गम्भीर चिन्तन के बाद ही निर्गत हुआ होगा।

25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उस आदेश को जारी करने से पहले भारत सरकार ने विषय विशेषज्ञों की एक कमेटी का गठन किया था इस कमेटी में चिकित्सा क्षेत्र के विभिन्न अंगों के ज्ञाता सम्मिलित थे जिन्होंने कई महीनों तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के गहन से गहन बिन्दुओं पर चर्चा की व जब सब एकमत हुये तब यह आदेश निर्गत हुआ था।21 जून, 2011 का आदेश मात्र इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की स्वतन्त्रता ही नहीं देता है बल्कि इस बात की स्पष्ट पुष्टि भी करता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी रोग से लड़ने की क्षमता रखती है व जन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन भी करता है, अब जब निर्णायक समय आ ही गया है तो 21 जून, 2011 के आदेश की उपेक्षा करना भारत सरकार के बस में नहीं है, जो भी कमेटी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भविष्य तय करेगी वह कोई भी निर्णय लेने के पहले 21 जून, 2011 के आदेश पर दृष्टि अवश्य डालेगी इसीलिये हम पूर्ण रुप से आश्वस्त हैं कि जो भी होगा वह अच्छा होगा यह अलग बात है कि सरकार कुछ ऐसा करदे कि हम सब आश्चर्यचकित रह जायें परन्तु जो भी होगा वह हमारी कल्पनाशीलता से विलग नहीं हो सकता है और न ही अप्रत्याशित यह न तो हमारा मिथ्या अभिमान है और न ही कपोल कल्पना, यह सब कुछ कार्यों पर आधारित है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मज़बूती पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, हम ही हैं जो यह कामना करते हैं कि भारत सरकार एक ऐसा युनिफॉर्म ऑर्डर पास करे जिसका आनन्द पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ साधिकार उठाये यहॉ न कोई अपना होगा न कोई पराया सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथ हैं और सभी हमारे लिये उतने ही प्रिय हैं जितने कि हमारे अपने।

जिस आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं वह न तो अकल्पनीय होगा न अविश्वसनीय।

कब तक करते रहोगे जागरुक

फरवरी से लेकर अब तक गहमा गहमी बनी हुई है पहले फरवरी और मार्च के महीने में प्रपोज़ल देने का सिलसिला शुरू रहा, प्रारम्भिक दौर में 7 संगठनों द्वारा प्रपोज़ल भेजे गये लगभग 15 दिनों तक पूरे देश में इस बात की चर्चा होती रही कि इतने लोगों ने प्रपोज़ल भेज दिये, भेजने वाले अपनी पीठ थपथपाते रहे थोड़ा वक्त गुज़रा था, चर्चा में आया कि भेजे गये सारे प्रपोज़लों पर सरकार ने विचार नहीं किया।

कुछ दिनों तक खमोशी रही कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग मायूस तरह–तरह की टिप्पणियां आने लगीं, अभी यह गर्मी शान्त भी नहीं हुई कि पूरे देश में लोकसभा का प्रश्नोत्तर आंधी की तरह छा गया था।

28 जुलाई, 2017 का वह दिन जब सदन में देश की स्वास्थ्य राज्यमंत्री माननीया अनुप्रिया पटेल ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में जो वक्तव्य दिया अगले दिन जब देश के समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ तो एक बार फिर ऐसा लगने लगा था कि क्या इतिहास फिर से दोहराया गया है।

जिन–जिन लोगों ने समाचार पढ़ा वह स्तब्ध थे 28 फरवरी की प्रसन्नता तार–तार हो रही थी हर तरफ़ निराशा व चिन्ता का वातावरण था वह सारे नेतागण जो पिछले तीन वर्षों से काफ़ी सक्रिय हैं और जो यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन को वही अन्तिम गति प्रदान करेंगे ऐसे नेताओं ने भी जब माननीया अनुप्रिया पटेल का यह बयान पढ़ा वह भी हतप्रभ रह गये, उन दिनों सोशल मीडिया पर जो कुछ भी डाला जा रहा था उसमें आक्रोश के साथ निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था, लोग–बाग माननीया मंत्री जी के घेराव तक की बात कर रहे थे, हताशा इस कदर हावी हो गयी थी कि यह तथाकथित नेतृत्वकर्ता बगलें झाकने लगे थे। जब कि सत्य यह था कि माननीया मंत्री जी ने अपने बयान में वही कहा था जो तथ्यसंगत था बस उनकी एक बात ही गले नहीं उतर रही थी जो उन्होंने जनता तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पहुँच पर कार्य करने हेतु मनाही की बात कही थी, एक तरफ़ जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासकीय संरक्षण की बात, तो वहीं दूसरी तरफ़ मनाही जैसी बात ! इन परिस्थितियों को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने गम्भीरता से लिया पूरे प्रदेश में ताबड़तोड़ पत्रकार वार्तायें कर इलेक्ट्रो होम्योपैथों व सामान्य जन को वास्तविक वस्तुस्थिति से परिचित कराया, जैसे ही इन पत्रकार वार्ताओं का क्रम प्रारम्भ हुआ लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ और देखते ही देखते जो लोग हताशा में चले गये थे वह पुनः दुगने उत्साह के साथ मैदान में आये।

परन्तु अब परिस्थिति बदली हुई थी वह संगठन प्रमुख जो पहले प्रपोज़ल देना चाहते थे आपस में मीटिंग करने लगे और इस बात पर चर्चा करने लगे कि प्रपोज़ल दिया जाये या न दिया जाये ! कुछ लोगों का मत था कि सामान्य राय बनाकर कोई एक प्रपोज़ल दिया जाये, परन्तु तमाम प्रयासों के उपरान्त भी आम सहमति नहीं बन सकी, क्योंकि लोगों के अहं आपस में टकरा रहे थे ! कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था उ0प्र0 के कुछ संस्था प्रमुख अति आतुरता दिखा रहे थे शायद वह अपने साथियों को यह बताना चाहते थे कि वह किसी से पीछे नहीं हैं कभी–कभी तो वह यह भी प्रसारित करते रहते हैं कि जब कभी भी भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कोई नियम बनायेगी तो उनकी अगुवाई वह स्वयं या उनका संगठन ही करेगा।

बहुत सारे लोगों ने बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 व इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया के विचार जानने चाहे कि प्रपोज़ल के सम्बन्ध में उनका क्या इरादा है ?इन दोनों संगठनों के पदाधिकारियों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमारा स्टैण्ड जो कल था वह आज भी है हम भीड़ में सम्मिलित नहीं होंगे।

जब तक 21 जून, 2011 का आदेश प्रभावी है और यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता है, इस समाचार के लिखने तक एक और संगठन द्वारा प्रपोज़ल भेजा जा चुका होगा, धीरे–धीरे नवम्बर समाप्त हो रहा है दिसम्बर आ रहा है अभी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ संगठन प्रपोज़ल अवश्य देंगे दिसम्बर 30 तक का समय है, देखिये क्या क्या होता है ? सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं और सारे के सारे यह दावे भी कर रहे हैं कि मान्यता उन्हीं को मिलेगी।

समय पूर्व परिणामों की बैचैनी तो सभी को होती है परन्तु यह दावा करना कि हम ही जीतेंगे यह बात अभी उचित नहीं है,जब मैदान में बहुत सारे खिलाड़ी हों तो खेल के पहले ही यह दावा कर देना कि विजयी खेल हम ही खेंलेगे यह सिर्फ अति उत्साही लोग ही करते हैं, हमें यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिये कि बहुत अच्छा खिलाड़ी किसी दिन बिल्कुल अच्छा नहीं खेल पाता जबकि उसी दिन बहुत फिसड्डी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल खेल जाता है, क्योंकि वह दिन उसका होता है। अभी लगभग डेढ़ महीने बकाया हैं पता नहीं कौन–कौन सा खिलाड़ी मैदान में उतरे परिस्थितियां कब किसके पक्ष में बदल जायें यह भी कोई नहीं जानता हमें समय की प्रतीक्षा करनी होगी वैसे ऐसा लग रहा है कि लोगों को समय की प्रतीक्षा नहीं है, पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्मेलनों का सिलसिला चल रहा है शायद ही कोई ऐसा राज्य बच रहा है जहां चिकित्सकों को जागरूकता के नाम पर सम्मेलन न आयोजित कर एकत्रित किया जा रहा है परन्तु अब चिकित्सक बहुत जानकार हो चुका है, उसे पहले से ही इस बात का अन्दाज़ा रहता है कि इन सम्मेलनों से उसे क्या मिलने वाला है जहाँ तक प्रश्न जागरुकता का है तो हमारा चिकित्सक अब इतना तो जागरुक हो ही चुका है कि वह यह समझने लगा है कि कौन क्या कर रहा है ?आज कल संचार माध्यम इतना तेज़ है कि एक समाचार को दूसरे तक पहुँचने में मिनटों का समय ही लगता है और सोशल मीडिया वह सशक्त माध्यम है कि जिसपर पूरा घटनाचक्र व लोगों की राय तत्काल आने लगती है, पल भर के ही अन्दर समाचार आग की तरह पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज में पहुँच जाता है इसलिये लोगों में न तो कोई उत्सुकता बचती है और न ही जानकारी लेने की प्रबल इच्छा, वर्तमान में हमारे सारे साथी बस इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से 30 दिसम्बर का समय आये और सरकार का निर्णय क्या होता है उसे वह जान सकें, देखा जाये तो यह प्रतीक्षा उचित भी है साथ–साथ प्रतीक्षा का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है परन्तु हमारे सीधे–साधे साथियों को इस भ्रमजाल से निकल जाना चाहिये कि 30 दिसम्बर का दिन निर्णायक दिन होगा, यह दिन तो प्रपोज़ल प्रेषित करने का अन्तिम दिन है, जो लोग अपने मन में यह भाव बनाकर रखे हैं कि 30 दिसम्बर को ही सबकुछ हो जायेगा उन्हें भाव में आंशिक परिवर्तन कर लेना चाहिये क्योंकि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं हुयी तो मन मस्तिष्क को गम्भीर ठेस लगेगी।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि जहाँ कहीं भी दो–चार या समूह के रुप में चिकित्सक एकत्रित होते हैं वहां पर यही चर्चा होते दिखती है कि देखो 30 दिसम्बर को क्या होता है ?हमारे नेताओं ने लोगों के मन में इस कदर यह भर दिया है कि 30 दिसम्बर को इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिल जायेगी और हमसब इस मान्यता का भरपूर लाभ उठा लेंगे ! लोग फ़ोन / मोबाइल पर जब चर्चा करते हैं तो यही कहते हैं कि चलो धीरे–धीरे समय करीब आ रहा है, कुछ लोग तो इतने आश्वस्त हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता मिलते ही उनके सरकारी सेवाओं में जाने का मार्ग खुल जायेगा और वे भी सरकारी हो जायेंगे ! जो कुछ भी हो अभी तो यह मात्र कल्पना है या दूसरे शब्दों में कहें तो मृगमरीचिका के अतिरिक्त कुछ भी नहीं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के अभी कई स्तर बाकी हैं यह तो प्रारम्भिक स्तर है, अभी तो सरकार ने मात्र यही जानना चाहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन किस तरीके से किया जा रहा है, सरकार की रुचि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास जानने में नहीं है और न ही वह इसकी प्रमाणिकता जानना चाहती है, सरकार यह भी जानती है कि जो चिकित्सा पद्धित लगभग 150 वर्षों से प्रचलित है और चिकित्सा व्यवसाय में लगे चिकित्सक इस विधा से चिकित्सा भी कर रहे हैं और इतने वर्षों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा करवाने वाले किसी रोगी ने आजतक कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की है ! सरकार का सहयोग और समर्थन हमें इसलिये मिल रहा है क्योंकि सरकार में बैठे अधिकारी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि बिना किसी सरकारी सहायता के लोग काम कर रहे हैं, सरकार की इच्छा यह जानने की है कि यह वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कैरिकुलम क्या है और उन विद्यालयों का स्तर क्या है जहाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, अब यह हमारे साथियों पर निर्भर करता है कि उन्होंने किस प्रकार की जानकारी प्रपोज़ल के माध्यम से सरकार को प्रेषित की है ?यह वह महत्वपूर्ण बातें हैं जिनपर ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विषय निर्णीत होना है अभी भी समय है हमें अपनी मानसिकता का स्तर ऊँचा रखना चाहिये, भावनाओं में न बहकर कर्म को प्रमुखता देते हुये आगे बढ़ना है, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा परन्तु होने की राह या प्लेटफार्म हम ही तैयार करेंगे मात्र प्रपोज़ल देना, प्रपोज़ल देकर अपनी फोटो खिंचवाना और इन्हें वाइरल करना इससे काम नहीं चलने वाला है, हमें मज़बूत मानसिकता के साथ वह धरातल तैयार करना होगा जो ठोस और मज़बूत हो, बातों के माध्यम से किसी को प्रभावित तो किया जा सकता है परन्तु आधार तभी बनता है जब कार्य बोलता है ! इसलिये हमारे जो साथी 30 दिसम्बर की प्रतीक्षा कर रहे हैं वे प्रतीक्षा अवश्य करें परन्तु कार्य पर भी ध्यान दें क्योंकि 30 दिसम्बर के बाद ही असली परीक्षा प्रारम्भ होने वाली है। हमें कार्य के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना होगा तभी कुछ बहुत अच्छे परिणाम सामने आयेंगे यह निश्चित है कि जो कर्म योगी होता है उसकी हर इच्छायें पूरी होती हैं इसलिये हमारे साथियों ने जो–जो सुःखद कल्पनायें कर रखी हैं वह अवश्य पूरी होंगी परन्तु इसके लिये समय को सीमा में बान्धना कदाचित उचित नहीं है।

सरकार ने 30 दिसम्बर के बाद समीक्षा के उपरान्त कमेटी बनाने की बात कही है हमें पुराने अनुभवों से यह सीखना होगा कि कमेटियां कितनी तेज़ गति से कार्य करती हैं प्रायः यह देखने में आता है कि जो समयबद्ध कमेटियां होती हैं उनके भी कार्यकाल में अनेक बार वृद्धि होती है, परन्तु यह लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है इसलिये सरकार को अस्तु , किन्तु और परन्तु का अवसर नहीं देना चाहिये जो कुछ भी सरकार को करना है बिना समय गवांये निर्णय ले।

प्रपोज़ल के नाम पर 10 महीनों का लम्बा समय सरकार वैसे ही ले चुकी है अब इन्तेज़ार की इन्तेहा हो चुकी है अब तो बस निर्णय होना चाहिये।